भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 469*

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'अमृत' के अंतर्गत पाइप से जलापूर्ति एवं सीवर कनेक्शन के संबंध में प्रगति

***469. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत शहरी परिवारों को पाइप से जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था सुलभ कराने के लिए कोई कार्यनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो अवसंरचना संबंधी प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा शहरी स्वच्छता एवं जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार पर उनका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार के पास 'अमृत' के अंतर्गत पाइप से जलापूर्ति एवं सीवर कनेक्शन की प्रगति के बारे में कोई आंकड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा कवरेज का वर्तमान स्तर और कार्यान्वयन के अगले चरण के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) क्या शहरी जल आपूर्ति व्यवस्था में दक्षता एवं निरंतरता बढ़ाने के लिए किन्हीं प्रौद्योगिक उन्नति या आधुनिक जल प्रबंधन समाधानों को एकीकृत किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>विवरण</u>

अमृत के अंतर्गत पाइप से जलापूर्ति एवं सीवर कनेक्शन के संबंध में प्रगति" के विषय में दिनांक 03/04/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 469* के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जल और स्वच्छता राज्य के विषय हैं और उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं/मिशनों के माध्यम से राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अमृत का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों और कस्बों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) में शुरू किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने पूरी मिशन अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 77,640 करोड़ रु. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को अनुमोदित किया है, जिसमें 35,990 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (सीए) शामिल है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जल/ सीवरेज क्षेत्र में 77,935 करोड़ रु. की 2,295 परियोजनाओं सहित 83,578 करोड़ रु. की 6,010 परियोजनाओं का कार्य शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर, लगभग 79,401 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं और 72,656 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है।

अमृत मिशन के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करते हुए, अब तक 139 लाख के लक्ष्य की तुलना में 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) प्रदान किए गए; 145 लाख के लक्ष्य की तुलना में 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए परिवारों सहित) प्रदान किए गए; 64,463 किलोमीटर का जल आपूर्ति नेटवर्क और 19,598 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क निर्मित हो चुका है; 4,734 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (डब्ल्यूटीपी) और 4,447 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज शोधन क्षमता (एसटीपी) विकसित की गई, जिसमें से 1,437 एमएलडी एसटीपी रीसाइकिल/रीयूज के लिए विकसित की गई; 1,434 किलोमीटर लम्बी नालियों का निर्माण किया गया, जिससे 3,708 जगहों पर जलभराव संबंधी समस्याओं को समाप्त किया गया; 5,086 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया।

इसके अलावा, शहरी आवासों में पाइप से जल और सीवरेज प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने के लिए, 01 अक्टूबर 2021 को सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में अमृत 2.0 शुरू किया गया है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकेंगे। 500 अमृत शहरों में

सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक है।

अमृत और अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों(यूटी) को मिशन दिशा-निर्देशों की व्यापक रूप रेखा के अनुरूप परियोजनाओं का चयन करने, प्राथमिकता देने, डिजाइन बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। अब तक अमृत 2.0 के तहत 1,14,220.62 करोड़ रु. की कुल 3,568 जलापूर्ति परियोजनाओं और 67,607.67 करोड़ रु. (संचालन और रखरखाव लागत सहित) की 592 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जल एवं सीवरेज कनेक्शन तथा नल कवरेज का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग) से (घ): वर्ष 2023 में राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यों और अमृत/अमृत 2.0 के संयुक्त प्रयासों से नल कवरेज 2011 में 49% से बढ़कर 70% हो गई है। इसके अलावा, अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत 181 लाख नए नल कनेक्शन, 67.11 लाख नए सीवर कनेक्शन, 10,647 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता और 6,739 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता को अनुमोदित किया जा चुका है। अनुमोदित जल और सीवरेज परियोजनाओं का राज्य-वार लक्ष्य **अनुलग्नक-II** में दिया गया हैं।

(ड.): स्मार्ट तत्व, घटक और प्रौद्योगिकियां अमृत परियोजनाओं का हिस्सा हैं और इसका उद्देश्य सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अमृत दिशा-निर्देशों में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के रूप में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) जैसे स्मार्ट तत्वों का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 230 जल आपूर्ति परियोजनाओं और 146 सीवरेज परियोजनाओं को स्काडा के साथ कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 1,487 जल आपूर्ति परियोजनाओं, 235 सीवरेज परियोजनाओं को स्काडा के साथ अनुमोदित किया गया है।

प्रौद्योगिकी उप-मिशन अमृत 2.0 का एक और महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य स्टार्ट-अप विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है तथा उन्हें प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल करना है। इस उप-मिशन के तहत अब तक 120 स्टार्ट-अप का चयन किया गया है और 82 अमृत शहरों के साथ इनकी मैपिंग की गई है।

*****

"अमृत के अंतर्गत पाइप से जलापूर्ति एवं सीवर कनेक्शन के संबंध में प्रगति" के विषय में दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 469* के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत के अंतर्गत नल कनेक्शन की राज्यवार प्रगति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी-अमृत के अनुसार लक्षित परिवार	अमृत और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल के अंतर्गत उपलब्धियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,705	7,198
2	आंध्र प्रदेश	7,28,997	4,20,579
3	अरुणाचल प्रदेश	1,785	4,312
4	असम	1,08,447	72,497
5	बिहार	8,24,823	7,04,788
6	चंडीगढ़	24,731	1,76,434
7	छत्तीसगढ़	3,70,151	3,09,871
8	दादरा एवं नगर हवेली	5,895	22,459
	दमन और दीव	7,528	7,000
9	दिल्ली	1,82,196	27,52,255
10	गोवा	400	2,099
11	गुजरात	1,54,495	20,94,249
12	हरियाणा	2,73,670	3,62,888
13	हिमाचल प्रदेश	13,003	26,676
14	जम्मू और कश्मीर	1,07,674	77,170
15	झारखंड	3,61,170	2,99,296
16	कर्नाटक	12,89,119	9,20,304
17	केरल	1,53,387	6,56,652
18	लद्दाख		1,620
19	लक्षद्वीप	-	-
20	मध्य प्रदेश	10,09,765	14,40,652
21	महाराष्ट्र	19,83,405	11,73,069
22	मणिपुर	33,867	28,947
23	मेघालय	7,170	15,143
24	मिजोरम	12,127	56,535
25	नागालैंड	32,881	5,515
26	ओडिशा	2,91,204	5,18,395
27	पुदुचेरी	7,607	5,250
28	पंजाब	4,59,365	2,53,589
29	राजस्थान	6,66,761	4,45,361
30	सिक्किम	4,754	3,907
31	तमिलनाडु	16,15,641	16,06,924
32	तेलंगाना	9,01,031	5,54,204
33	त्रिपुरा	20,130	38,620
34	उत्तर प्रदेश	7,02,907	9,29,493
35	उत्तराखंड	56,347	79,538
36	पश्चिम बंगाल	14,61,620	27,83,678
कुल		**1,38,76,758**	**1,88,57,167**

अमृत के अंतर्गत सीवरेज/*सेप्टेज* के माध्यम से कवरेज की राज्यवार प्रगति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसएएपी के अनुसार लक्ष्य	सेप्टेज प्रबंधन के अंतर्गत सीवर कनेक्शन और शामिल किए गए परिवार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,525	-
2	आंध्र प्रदेश	1,30,580	3,99,916
3	अरुणाचल प्रदेश	11,898	16,000
4	असम	-	-
5	बिहार	1,76,748	-
6	चंडीगढ़	-	1,76,434
7	छत्तीसगढ़	6,42,976	3,65,217
8	दादरा एवं नगर हवेली	-	25,464
	दमन और दीव	8,856	4,134
9	दिल्ली	1,65,633	21,55,226
10	गोवा	3,521	1,982
11	गुजरात	23,17,426	30,84,726
12	हरियाणा	2,64,923	3,85,076
13	हिमाचल प्रदेश	23,006	38,920
14	जम्मू और कश्मीर*	2,65,802	3,32,292
15	झारखंड	4,58,774	33,000
16	कर्नाटक	14,34,839	7,08,638
17	केरल	2,18,023	3,79,976
18	लद्दाख	जम्मू और कश्मीर के साथ	1,620
19	लक्षद्वीप	-	-
20	मध्य प्रदेश	8,52,690	4,02,139
21	महाराष्ट्र	11,39,054	4,44,966
22	मणिपुर	57,764	4,000
23	मेघालय	31,025	31,000
24	मिजोरम	30,317	-
25	नागालैंड	32,881	30,520
26	ओडिशा	2,17,489	4,14,177
27	पुदुचेरी	68,463	15,954
28	पंजाब	2,69,064	1,21,218
29	राजस्थान	11,28,812	6,15,048
30	सिक्किम	9,509	17,400
31	तमिलनाडु	27,04,442	25,20,304
32	तेलंगाना	7,24,967	87,570
33	त्रिपुरा	40,260	600
34	उत्तर प्रदेश	5,37,517	18,62,868
35	उत्तराखंड	1,07,059	74,914
36	पश्चिम बंगाल	4,06,006	1,84,215
कुल		**1,44,93,849**	**1,49,35,514**

"अमृत के अंतर्गत पाइप से जलापूर्ति एवं सीवर कनेक्शन के संबंध में प्रगति" के विषय में दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 469* के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक - II

2023 में राज्य-वार नल कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी परिवारों की कुल संख्या	घरेलू नल कनेक्शन वाले शहरी परिवारों की संख्या	2023 तक शहरी परिवारों की कवरेज (% में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	48154	48154	100.00%
2	आंध्र प्रदेश	43,80,256	30,67,015	70.02%
3	अरुणाचल प्रदेश	1,35,050	50967	37.74%
4	असम	10,22,270	1,66,420	16.28%
5	बिहार	28,11,338	23,30,401	82.89%
6	चंडीगढ़	3,13,580	2,98,083	95.06%
7	छत्तीसगढ़	16,41,191	10,46,208	63.75%
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	44373	44373	100.00%
9	दिल्ली	40,09,814	32,82,204	81.85%
10	गोवा	1,20,844	1,15,010	95.17%
11	गुजरात	75,93,306	65,95,682	86.86%
12	हरियाणा	30,99,882	23,37,852	75.42%
13	हिमाचल प्रदेश	2,48,537	1,85,867	74.78%
14	जम्मू और कश्मीर	9,80,232	6,75,052	68.87%
15	झारखंड	17,69,039	6,30,692	35.70%
16	कर्नाटक	70,80,680	50,23,524	70.95%
17	केरल	23,18,753	11,56,750	49.89%
18	लद्दाख	12850	1472	11.46%
19	लक्षद्वीप	3321	0	0.00%
20	मध्य प्रदेश	39,00,000	30,02,047	76.98%
21	महाराष्ट्र	1,64,12,457	1,37,27,737	83.64%
22	मणिपुर	1,83,116	73143	39.94%
23	मेघालय	1,72,129	1,01,789	59.14%
24	मिजोरम	1,71,884	1,13,825	66.22%
25	नागालैंड	1,80,354	30781	17.07%
26	ओडिशा	13,24,738	11,43,116	86.29%
27	पुदुचेरी	2,53,291	2,35,216	92.86%
28	पंजाब	26,76,537	24,53,678	91.67%
29	राजस्थान	39,93,009	32,08,607	80.36%
30	सिक्किम	44127	16732	37.92%

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शहरी परिवारों की कुल संख्या	घरेलू नल कनेक्शन वाले शहरी परिवारों की संख्या	2023 तक शहरी परिवारों की कवरेज (% में)
31	तमिलनाडु	86,59,292	47,51,054	54.87%
32	तेलंगाना	40,22,960	37,20,003	92.47%
33	त्रिपुरा	1,81,177	1,09,231	60.29%
34	उत्तर प्रदेश	1,31,70,455	58,15,017	44.15%
35	उत्तराखंड	10,36,818	9,21,584	88.89%
36	पश्चिम बंगाल	62,55,544	40,77,761	65.19%
	कुल	**10,02,71,358**	**7,05,57,047**	**70.36%**

अमृत 2.0 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं में राज्य-वार लक्ष्य

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नये जल नल कनेक्शन	नये सीवर कनेक्शन
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2,390	
2	आंध्र प्रदेश	10,59,981	3,49,852
3	अरुणाचल प्रदेश	15,616	
4	असम	1,58,131	4,363
5	बिहार	6,45,418	8,57,209
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ़	1,00,562	0
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव		16,722
9	दिल्ली	8,096	4,74,209
10	गोवा	0	32
11	गुजरात	11,73,347	2,70,125
12	हरियाणा	1,18,571	39,958
13	हिमाचल प्रदेश	14,910	1,023
14	जम्मू और कश्मीर	2,24,490	72,872
15	झारखंड	2,05,416	1,58,665
16	कर्नाटक	9,34,563	
17	केरल	4,35,531	45,819
18	लद्दाख		8,817
19	लक्षद्वीप		
20	मध्य प्रदेश	28,00,428	12,94,201
21	महाराष्ट्र	17,43,361	15,57,678
22	मणिपुर	33,509	
23	मेघालय	7,229	
24	मिजोरम	65,592	9,335
25	नागालैंड	16,398	49,477
26	ओडिशा	1,17,488	
27	पुदुचेरी	4,002	480
28	पंजाब	2,73,673	13,767
29	राजस्थान	8,35,043	3,56,147
30	सिक्किम	25,997	
31	तमिलनाडु	5,51,361	4,71,644
32	तेलंगाना	2,92,993	1,33,155
33	त्रिपुरा	77,811	
34	उत्तर प्रदेश	42,48,109	4,71,417
35	उत्तराखंड	30,076	
36	पश्चिम बंगाल	19,48,243	54,046
	कुल योग	**1,81,68,335**	**67,11,013**

*****